<u>प्रकरण संख्या 18/2021 रिषभ व अन्य बनाम श्रीमती भगवतीदेवी व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 39 नियम 1, 2 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 11 एक ही खानदान के होकर मूलपुरूष भैरूलाल जोशी थी, जिनका सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 11 की मौरूसी आराजी नंबर 84 से 95, 99, 108, 120, 123, 134, 144, 145, 152, 175, 199, 220, 259, 261, 276, 277, 1, 389/1 कुल किता 29 रकबा 3.9200 हैक्टर भूमि ग्राम ब्राहमणों का गुडा, तहसील गिर्वा में स्थित है। उक्त आराजियात में प्रार्थीगण के पिता प्रकाश का 1/30 हिस्सा निहित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/90 व प्रार्थी संख्या 2 का 1/90 हिस्सा निहित होकर खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी हैं, किन्तु विपक्षी संख्या 5 प्रार्थीगण को उनके हक अधिकारों से वंचित करने की गरज से भूमि विक्रय व अन्य तरीके से हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। यदि उनके द्वारा विक्रय हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जावेगा तो प्रार्थीगण अपने हक हिस्से से सदैव के लिए महरूम हो जायेंगे। प्रार्थीगण नाबालिग होने से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से उनकी संरक्षक माता श्रीमती भावना जोशी पत्नी श्री प्रकाश जोशी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः विपक्षी संख्या 5 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे उनके नाम दर्ज 1/30 हिस्से को रहन, बैह, बक्षीस आदि नहीं करें, न ही अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करें, न ही खुर्द बुर्द करें न ही किसी से करावें तथा उक्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 01.03.2021 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 12.07.2021 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:28 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल जैन उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की नकल उन्हें दिनांक 19.03.2021 को प्राप्त हुई, किन्तु कोरोना महामारी में लॉकडाउन के कारण वह अपने अधिवक्ता से अपील तैयार नहीं करवा सके। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.03.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 01.05.2021 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में करीब 2 माह का विलम्ब हुआ है, जिसे प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में कण्डोन किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात मौरूसी होकर अपीलान्टगण का जन्म से हक अधिकार है, किन्तु अपीलान्टगण के दादा जी उक्त भूमि विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं, जिससे अपीलान्टगण अपने हक अधिकारों से वंचित हो जायेंगे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट दादा के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाहते हैं, जबकि दादा के जीवनकाल में उन्हें इस प्रकार का अधिकार प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:28 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 रेकार्डेड खातेदार होकर अपीलान्टगण के दादा हैं, जबकि कानूनन दादा के जीवनकाल में अपीलान्टगण का विवादित भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं माना जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने हालांकि अपने निर्णय में कब्जे का आधार लिया है, जबकि प्रश्न कब्जे का नहीं होकर मात्र यह है कि क्या अपीलान्टगण अपने दादा के जीवनकाल में उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं अथवा नही ? विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि दादा अथवा पिता के जीवनकाल में पुत्र/पुत्री अथवा पौत्र/पौत्री को किसी प्रकार का वाद लाने का अधिकार नहीं है, न ही पिता अथवा दादा के विरूद्ध पुत्र अथवा पौत्र किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 211/2019 निर्णय दिनांक 01.03.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:28 IST
Reason: SelfAttested